Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम. रायसिंहनगर

अमरजीत सिंह बनाम सन्ता सिंह आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नम्बर 47/2024

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/130

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.05.2024	प्रार्थी अमरजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति बावरी निवासी 6 पीटीडीबी वगैरा की ओर से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता ने धारा 251 (क) के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र. मय शपथ पत्र प्रस्तुत ,किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड व रास्ता को बन्द करने व अवरूद्व पेदा न करने आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 6 पीटीडी बी के मु. न. 34 प.न. 239/358 के कि.न. 7 में पश्चिमी पासा से उत्तर–दक्षिण लम्बा व कि.न. 13 में पूर्वी दक्षिण कोना व कि.न. 2–9 में पूर्वी पासा में व कि.न. 13 में पश्चिमी पासा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता आगामी तारीख पेशी 25.06.2024 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीयागण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे। रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.06.2024 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	509 3/6/24
28/6/24	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 5/7/24 को पेश हो।	
25/7/24	आज पत्रावली [illegible] [illegible] पर ली।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

...संचालन समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगं...

गई। प्रार्थीगण [illegible] प्र.पत्र 25/18 के पश्चात राजीनामा के आधार पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बिक्री किया जा चुका है। अतः प्र.पत्र 212 RTAct को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस कारण प्र.पत्र 212 RTAct व [illegible] 18 दिनांक 23/5/2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली मिसिल रिकॉर्ड जमा हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:25:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner